

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश


प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-4045 दिनांक-25.07.2018 एवं पत्रांक-4256 दिनांक-01.08.18 के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-11 मु० दिनांक-02.08.2018 द्वारा वैशाली जिला अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यालय में कुल-288 कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में जिला स्तर पर संधारित पैनल में शेष बचे कुल-35 उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों के कार्यालय में कार्य लेने हेतु उपलब्ध कराया जाता है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र०	कार्यपालक सहायक का नाम	पिता का नाम	आरक्षण कोटि	जिला स्तर के वर्ष 2016 का पैनल क्रमांक	अभ्युक्ति
1	नितेश कुमार	कैलाश प्रसाद	पिछड़ा वर्ग	171	
2	विक्रान्त कुमार	राम लगन साह	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	185	
3	धिरेन्द्र कुमार	मोहन राय	पिछड़ा वर्ग	172	
4	उमेश कुमार	राम नारायण सिंह	पिछड़ा वर्ग	174	
5	गुलाम मुस्तफा	मो० टुन्नी	सामान्य वर्ग	175	
6	मयंक प्रकाश	प्रकाश चन्द्र गुप्ता	पिछड़ा वर्ग	176	
7	विकास कुमार	अमरनाथ सिंह	पिछड़ा वर्ग	177	
8	रोहित कुमार	विश्वकर्मा प्र० शर्मा	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	192	
9	पंकज कुमार	विश्वनाथ सिंह	सामान्य वर्ग	179	
10	मंजीत कुमार	राम सागर सिंह	पिछड़ा वर्ग	180	
11	सचिन कुमार	शम्भू शरण सिंह	सामान्य वर्ग	182	
12	वेद प्रकाश	विश्वनाथ प्र० सिंह	पिछड़ा वर्ग	186	
13	विजेन्द्र कुमार	विश्वनाथ चौधरी	पिछड़ा वर्ग	187	
14	विजेन्द्र साह	अकलू साह	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	193	
15	अभिषेक कुमार	नागेन्द्र प्रसाद	पिछड़ा वर्ग	188	
16	अविनाश कुमार	योगेन्द्र सिंह	पिछड़ा वर्ग	189	
17	मो० फिरदौस अनवर	इकबाल अहमद	सामान्य वर्ग	195	
18	जय प्रकाश कुमार	हरिनाथ राय	पिछड़ा वर्ग	190	
19	सुधीर प्र० यादव	जयनाथ राय	पिछड़ा वर्ग	191	
20	विमल कुमार	स्व० मुरलीधर ठाकुर	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	197	
21	मुकेश कुमार	सुरेश राय	पिछड़ा वर्ग	198	
22	दीपक कुमार साह	दिनेश साह	पिछड़ा वर्ग	199	
23	विनोद कुमार सिंह	विनय सिंह	सामान्य वर्ग	203	
24	पप्पु कुमार	हुलासी राय	पिछड़ा वर्ग	200	
25	तरुण कुमार शर्मा	दिनेश्वर शर्मा	पिछड़ा वर्ग	201	

26	मो० अमानुल्लाह	मो० सैफुल्लाह	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	202	
27	दिनेश कुमार	नंदलाल सिंह	पिछड़ा वर्ग	206	
28	गुड्डु कुमार राय	देवेन्द्र प्रसाद राय	पिछड़ा वर्ग	209	
29	आशुतोष आनन्द	चंद्रभूषण झा	सामान्य वर्ग	204	
30	तन्नु कुमार	राजाराम सिंह	पिछड़ा वर्ग	210	
31	विपिन कुमार	कमल किशोर सिंह	पिछड़ा वर्ग	211	
32	रवि कुमार	अभिनंदन सहनी	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	205	
33	अभिषेक कुमार	रंजीत कुमार	पिछड़ा वर्ग	212	
34	अमरजीत कुमार	धनेश्वर साह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	207	
35	रौशन कुमार झा	आलोक झा	सामान्य वर्ग	208	

शर्त :-

1. नियोजन हेतु नियोजन पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 15/10/18 तक जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इनका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना सूचना के नियोजन समाप्त करने का अधिकार संबंधित पदाधिकारी/नियोक्ता का होगा।
5. विभागीय निदेश के आलोक में संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. वे सभी कार्य जो विभागीय पदाधिकारी/नियोक्ता उन्हें कार्यहित में आवंटित करेंगे, उसका दृढ़ता से ससमय अनुपालन करना होगा।
7. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. संविदा पर किये गये नियोजन के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नियुक्ति संबंधी दावा अनुमान्य नहीं होगा।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक:- 818 /जि०स्था० दिनांक:- 12/10/2018

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि निम्नांकित उपस्करों (क) एक डेस्कटॉप (ख) एक प्रिंटर (ग) एक यू०पी०एस० एवं (घ) इण्टरनेट कनेक्शन डिवाइस के साथ निर्धारित तिथि के अंदर अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका बाद में नियोजन हेतु दावा अमान्य कर दिया जायेगा।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।